



2026:AHC:57655

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 10579 वर्ष 2026

सत्यवीर

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : पवन शुक्ला

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. प्रत्यर्थी संख्या 2, यानी उप-विभागीय दण्डाधिकारी, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद द्वारा दिनांक 27.02.2026 को पारित आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता द्वारा उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 207 के तहत विधिक अपील प्रस्तुत की गई थी, जो वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या 3, यानी अपर आयुक्त, मेरठ मंडल, मेरठ के समक्ष विचाराधीन है।
2. उपर्युक्त अपील को वाद संख्या 452 वर्ष 2026, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टीसी202611000000452 के रूप में दर्ज किया गया था। उपर्युक्त अपील को स्वीकार कर लिया गया और अवर न्यायालय के अभिलेख तलब करते हुए 06.04.2026 की तारीख तय की गई।
3. यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपर्युक्त अपील के साथ-साथ, अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए एक आवेदन 06.03.2026 को दायर किया गया था, लेकिन उस आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि यदि प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा अंतरिम सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है, तो याचिकाकर्ता को दिनांक 27.02.2026 के उस आदेश के कारण अपूरणीय क्षति होगी, जिसे चुनौती दी गई है।

स्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!

4. उपर्युक्त आदेश द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ता पर 23,36,777/- रुपये का हर्जाना लगाया जाए, जिसके साथ ही बेदखली का आदेश भी दिया गया है।

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल चंद यादव और अन्य बनाम रज़ा बुलंद शुगर कंपनी लिमिटेड, रामपुर और अन्य (1982) 3 एससीसी 484 के वाद में निर्धारित विधि पर भरोसा जताया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने उक्त निर्णय के प्रस्तर संख्या 3 और 4 पर भरोसा किया, जो इस प्रकार हैं:-

“3. इस आदेश के विरुद्ध एफ़.ए.एफ़.ओ. संख्या निल वर्ष 1982 के रूप में एक अपील दायर की गई थी। हमें बताया गया है कि अपील स्वीकार कर ली गई थी और अपीलित आदेश के निलंबन हेतु सूचना जारी की गयी थी। परंतु, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने स्थगन आदेश देने से इनकार कर दिया। अतः, विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

4. हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.एन. काकर की बात सुनी, और प्रत्यर्थी, अधिवक्ता श्री मनोज स्वरूप के माध्यम से, कैविएट के तहत पेश हुए। हम फिलहाल किसी भी तर्क की गुण-दोष पर जांच करने के इच्छुक नहीं हैं, लेकिन हम उस उभरती हुई स्थिति पर ध्यान देना चाहेंगे जो तब पैदा होगी, यदि अपील के लंबित रहने के दौरान, अपील के तहत दिए गए आदेश के अमल को निलंबित नहीं किया जाता है। यदि एफ़.ए.एफ़.ओ. (प्रथम अपील) स्वीकार कर ली जाती है, तो ज़ाहिर है, मूल चंद यादव को अपना कब्ज़ा जारी रखने का अधिकार होगा। अब, यदि अपील के लंबित रहने के दौरान अवमानना की किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए आदेश को निलंबित नहीं किया जाता है, तो मूल चंद को न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए कमरा खाली करना होगा और उसका कब्ज़ा प्रत्यर्थियों को सौंपना होगा। हम प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज स्वरूप से पूरी तरह सहमत हैं कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती, और न्यायालय के आदेश के प्रति ज़रा सी भी अप्रत्यक्ष अवहेलना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि आदेशों को चुनौती दी जाती है और अपीलें लंबित हैं, तो अपील के लंबित रहने के दौरान

लगातार लोलक की तरह इधर-उधर डगमगाने की स्थिति की अनुमति नहीं दी जा सकती। श्री मनोज स्वरूप यह तर्क देने में पूरी तरह सही हो सकते हैं कि न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की जा रही है। हम उस निष्कर्ष को बाधित नहीं कर रहे हैं। लेकिन न्यायिक दृष्टिकोण की यह मांग है कि अपील के लंबित रहने के दौरान, ऐसे किसी भी आदेश के अमल को निलंबित किया जाना चाहिए जिसके गंभीर दीवानी परिणाम हो सकते हैं। विशेष रूप से तब, जब अपील स्वीकार कर ली गई हो।”

6. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता के तर्क सुने और अभिलेख का अवलोकन किया।
7. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी-प्रत्यर्थियों को सूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
8. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और न्याय के हित में भी, इस रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है। इसके तहत याचिकाकर्ता को यह अनुमति दी जाती है कि वह इस मामले के लिए तय की गई अगली तारीख, यानी 06.04.2026 को इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ उस स्थगन आवेदन को शीघ्र सूचीबद्ध कराने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करे, जिसे याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त अपील के साथ दायर किया था। यदि ऐसा किया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 3 अर्थात् अपर आयुक्त, मेरठ मंडल, मेरठ को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए दिए गए आवेदन पर अगले दो सप्ताह के भीतर उचित आदेश पारित करें।
9. 30.04.2026 तक, अथवा उपर्युक्त आवेदन पर पारित आदेश आने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पक्षकारों के बीच आज की स्थिति यथावत बनी रहेगी।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

मार्च 20, 2026

स्वाति